भारत सरकार
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय अधीक्षक(निवारक)
निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ
एफ–1/29–31 जवाहर नगर,
नानाखेडा उज्जैन (म.प्र.) 456010

Government of India
Ministry of Finance
Central Bureau of Narcotics
Office of the Superintendent (Prev.)
Preventive and Intelligence Cell
F-1/29-31 Jawahar Nagar, Nanakheda,
Ujjain (MP)- 456010

☎(PBX) : (+91) 734-2513153 Email: supdt-ujjain@cbn.nic.in

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/2024/सीबीएन/उज्जैन में जब्त **यूरिया खाद** के कुल **25** कट्टे कार्यालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, **मंदसौर** के विभागीय मालखानें में रखे हुए है जिनकी माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, **मंदसौर** (म.प्र.) के आदेशानुसार नीलामी की कार्यवाही की जानी है। उक्त **यूरिया खाद** के कट्टो की नीलामी दिनांक 10.01.2025 को समय **16.00** बजे कार्यालय परिसर, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, **मंदसौर** जिला–**मंदसौर** (म.प्र.) में प्रस्तावित है। इच्छुक बोलीकर्ता दिनांक 10.01.2025 को कार्यालय समयान्तराल 09:30–15.00 में उक्त कट्टो का अवलोकन कर सकते है।

नीलामी की शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–

1. प्रस्तावित कट्टो के विक्रय हेतु सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले बोलीकर्ता को उक्त **यूरिया खाद** के कट्टे सौपें जायेगें।
2. उक्त **यूरिया खाद** के परिवहन हेतु वाहन व मजदूरों से सम्बन्धित समस्त व्यय स्वयं बोलीकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
3. **यूरिया खाद** की प्रस्तावित दर पर वास्तविक क्रेता (अधिकतम बोलीकर्ता) को मूल राशि **नगद** /बैंकर चेक/डीडी के माध्यम से दो दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा विभागीय मालखाने से **यूरिया खाद** के कट्टे दो दिन के भीतर ले जाना होगी।
4. बोलीकर्ता को बोली से पूर्व बयाना राशि रूपयें 1,000/– (लौटाने योग्य) नकद जमा कराने होगें तथा अपनी पहचान हेतु पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। दौरानें नीलामी उच्चतम बोली न्यूनतम आरक्षित दर से अधिक को रिकार्ड किया जाएगा।
5. अधिकतम बोलीकर्ता द्वारा **यूरिया खाद** ले जाने के पश्चात क्रय/विक्रय संबंधित करों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
6. नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के अधिकार कार्यालय अधीक्षक (निवारक), केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, उज्जैन (म.प्र.) के पास होगें।
7 नीलामी के तहत विक्रय सामग्री की गुणवत्ता की कोई गारन्टी विभाग द्वारा नहीं दी जावेगी।
8. नीलामी के लिए सामग्री की बोली हेतु सरल कागज पर आवेदन कर सकते हैं।

मुकेश खत्री
27.12.24

(मुकेश खत्री)
अधीक्षक (निवारक)
निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ
उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.)